तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 238/2022** **अनयान सीताराम बनाम इन्द्रा वगै.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.03.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई।	

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में अभिवचन से तथ्य स्पष्ट होता है कि इस अनुतोष हेतु पक्षकार को धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नही है। इस प्रार्थना–पत्र में दोनो पक्षो का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में परिवर्तन करने का प्रावधान धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम में नही है यह प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत घोषणात्मक दावा का प्रावधान है। इसलिए कानूनन धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है।इस प्रार्थना–पत्र में अवधि अधिनियम व अन्य कानूनी प्रावधानो से बचने के लिए यह गलत विधि विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश किया जो कानून नही चल सकता है। सैटलमेन्ट की कार्यवाही वर्ष 2003 में हुई थी। उसके बाद प्रार्थी को जानकारी नही हुई यह तथ्य भी बनावटी प्रतित हो रहा है। सैटलमेन्ट के द्वारा राजस्व रेकार्ड तैयार होने के बाद दावा द्वारा ही किसी त्रुटी के लिए कार्यवाही होती है। जिससे दावा, जबाबदावा, तनकी कायम होकर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर, बहस सुनकर निर्णय होता है। इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी किसी भी तरह से येनकेन अपनी भूमि जो कम किमती है उसके स्थान पर दूसरे खसरे से किमती भूमि हडप करने हेतु यह गलत प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्लीडिंग से स्पष्ट है कि इस त्रुटि के सुधार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। धारा 131, 136 बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) की कार्यवाही हेतु है। जहां साक्ष्य का प्रश्न है वहां दावा के माध्यम से कार्यवाही होती है। इसलिए भी प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बार्ड बाई लॉ है अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने व उनकी भूमि को हड़पने की नियत से यह कार्यवाही की गई है कानूनन यह प्रार्थना–पत्र बार्ड बाई लॉ है। इसलिए कार्यवाही को खारिज फरमाने की कृपा करें एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टा [illegible] रटी 2023(2) पृष्ठ संख्या 799 से 802 [illegible] 141 की प्रति पेश की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य हैं। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान केवलमात्र दावा में ही लागू होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 भूराजस्व अधिनियम के तहत राजस्व नक्शा में भूमि सही तरमीम करने का अनुतोष चाहा हैं। आदेश 7 नियम 11 में (A to F) में जो प्रावधान बताये गये है, वह प्रावधान अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में बताये गये आक्षेपो लागू नही होते हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्यों से पूर्णतया इन्कार किया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 भू–राजस्व अधिनियम विधि संमत रूप से प्रस्तुत किया गया हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 भू–राजस्व अधिनियम में कहीं भी सेटलमेन्ट की कार्यवाही 2005 में होने का वर्णन नही हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को देरीना करने के उद्देश्य से गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अपनी खातेदारी खेत के संबंध में तरमीम शुद्धी हेतु विधि आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी कतई भूमि हड़प करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है, बल्कि तरमीम शुद्धी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बार्ड बाय लॉ नही है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा बिना मौका मुआयना किये ही, गलत रूप से राजस्व नक्शा में तरमीम कर दिया। जबकि मौका पर खसरा नंबर 94 की जगह प्रार्थी की कब्जा काश्त चली आ रही है व खसरा नंबर 98 की जगह पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 काबिज चले आ रहे का कथन किया गया है। सेटलमेन्ट के द्वारा राजस्व रिकार्ड तैयार होने के बाद दावा द्वारा ही किसी त्रुटी के लिए कार्यवाही होती है। जिससे दावा, जवाबदावा, तनकी कायम होकर दोनों पक्षों को साक्ष्य लेकर बहस सुनकर निर्णय होता है। जहां साक्ष्य का प्रश्न है वहा दावा के माध्यम से कार्यवाही होती है। त्रुटि के सुधार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआर एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही करें।

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

आदेश [illegible] इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:26 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी (श्रीडूंगरगढ)